भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 921

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

वित्तीय शिक्षा संबंधी कार्यक्रम

921. श्री भोजराज नागः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से नवाचार किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में सूचना प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) चलाए जा रहे हैं। इन निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत, शिविरों का आयोजन करके वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान की जाती है। "निवेशक दीदी" भारतीय डाक भुगतान बैंकों (आईपीपीबी) के माध्यम से की गई ऐसी अभिनव पहलों में से एक पहल है, जिसमें प्रशिक्षित महिला डाकियों को शिविर आयोजित करने के लिए नियोजित किया जाता है, जो कि वंचित महिलाओं को लक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, आईईपीएफए छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 2022-23 से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) आयोजित करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ भी सहयोग कर रहा है।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर में जिला स्तर पर अग्रणी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (सीएफएल) की स्थापना के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक नियमित रूप से एफएलसी के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ प्रवर्तित राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई), सीएफएल के सहयोग से नियमित रूप से वित्तीय शिक्षा (एफई) का संचालन कर रहा है।

*****